राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4422/2024

मोहन लाल शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, भरतपुर।
4. खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, नदबई, भरतपुर।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.12.2024
आदेश की दिनांक : 09.01.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि अपीलार्थी दिनांक 31.12.2011 को शारीरिक शिक्षक के पद से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तालछेड़ा, नदबई, भरतपुर से सेवानिवृत हो गया। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति शारीरिक शिक्षक के पद पर हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को 19 वर्ष 11 माह 10 दिवस की सेवापूर्ण करने सेवानिवृत हुआ था (अनुलग्नक–1)। अपीलार्थी का दिनांक 01.09.2006 से संशोधित वेतनमान निर्धारित किया गया। उसमें अपीलार्थी को दिनांक 01.01.2006 से एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर ज्ञापन दिनांक 05.07.2013 के नियम 11 (4) के द्वारा विकल्प पुनः खोला जाकर अपीलर्थी का सहानुभुति पूर्वक वेतन निर्धारण किया जावे। (अनुलग्नक–2 व 3)। अपीलार्थी को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है तथा अपीलार्थी को कम पेंशन भी मिल रही है। अपीलार्थी सेवानिवृति से पूर्व एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के पश्चात् सेवानिवृति तिथि पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि का हकदार है। अपीलार्थी ने इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग

से कई बार संपर्क किया। लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने कोई उचित कार्यवाही नहीं की। अपीलार्थी ने विद्वान् अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 01.12.2024 (अनुलग्नक–4) के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को विधिक नोटिस दिया गया है। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने विधिक नोटिस पर कोई कार्यवाही नहीं की। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी की वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि 01.09.2006 के बजाय दिनांक 01.01.2006 से निर्धारित कर अपीलार्थी की सेवानिवृति से पूर्व एक वर्ष की संतोषजनक सेवापूर्ण करने के पश्चात् सेवानिवृत्ति से पूर्व एक वार्षिक वेतन वृद्धि के आदेश दिये जावे तथा समस्त बकाया और संशोधित पेंशन सहित सभी पारिणामिक लाभ 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दिये जाने के आदेश फरमाये जावें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 02 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष